708

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

आदेश सं0–14/अ0प्र0–2–48/16– 12231 पटना,दिनांक– 25.10.16

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, आरा के साथ दुर्व्यवहार करने की सूचना के आलोक में संवेदक श्री प्रशांत कुमार से कारणपृच्छा कर समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–10137, दिनांक 18.08.2015 के द्वारा संवेदक को कालीकृत किया गया। दुर्व्यवहार एवं अभित्रासित करने की सूचना देते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा द्वारा संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह के विरूद्ध आरा नवादा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें संवेदक के विरूद्ध आरा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कराया गया था। उधर कालीकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 नं0–14349/2015 दायर कराया गया था। सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 नं0–14349/2015, प्रशांत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री प्रशांत कुमार सिंह द्वारा सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील किया गया था। उक्त अपील की सुनवाई के पश्चात सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.07.2016 को पारित आदेश में अभियंता प्रमुख के आदेश संख्या–10137, दिनांक 18.08.2015 को set aside करते हुए पुनः नये सिरे से सुनवाई कर विधिमान्य आदेश पारित करने का निदेश दिया गया ।

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.07.2016 को पारित आदेश के आलोक में उक्त मामले मे पुनः सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने एवं दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–10015, दिनांक 17.08.2016 के द्वारा संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, पता–महाराजा हाता, थाना–आरा नवादा, जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583/2011) को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11(i) एवं 11(v) के तहत 10 वर्षो के लिये कालीकृत किया गया था। उक्त वारदात से संबंधित मामला माननीय न्यायालय में लंबित होने के कारण कालीकरण के आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया था कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किये जाने पर वे उक्त न्यायादेश की प्रति संलग्न कर विभाग में अपील कर सकते है।

उक्त मामले में आपराधिक न्यायालय, आरा, भोजपुर द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित किए गये न्याय निर्णय में अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। उक्त न्यायादेश की प्रति संवेदक द्वारा विभाग में समर्पित किये जाने के उपरान्त आपराधिक न्यायालय, आरा, भोजपुर द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित किए न्यायादेश के आलोक में निर्णय की तिथि 30.09.2016 से संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह को काली सूची से मुक्त करने का आदेश सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 17.10.2016 को पारित किया गया है।

अतः आपराधिक न्यायालय, आरा, भोजपुर द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित किये गये न्याय निर्णय के आधार पर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 17.10.2016 को पारित आदेश के आलोक में संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, पता–महाराजा हाता, थाना–आरा नवादा, जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583/2011) को न्यायालय के निर्णय की तिथि 30.09.2016 के प्रभाव से विभागीय काली सूची से मुक्त किया जाता है।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–48 / 16– 12335 पटना, दिनांक– 25.10.16

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0) ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–48 / 16– 12335 पटना, दिनांक– 25.10.16

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। कृपया इस पत्र को विभागीय साईट पर अपलोड करें।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–48 / 16– 12335 पटना, दिनांक– 25.10.16

प्रतिलिपि– संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, पता–महाराजा हाता, थाना–आरा नवादा, जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583 / 2011) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 11 / विविध–06–07 / 2015– 6170 पटना, दिनांक– 30.11.16

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार (यांत्रिक सहित) / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2,3 एवं बाढ़ / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव